

24/4/18

पत्रावली वाले मुकामे जाने कादेश पेश हुई। प्रकरण
में प्राथमिक रिडही जारी की जाती है। निरर्थक
हथक से लिखाया जाकर शान्ति मिया गया।
पत्रावली वाले विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12/6/18
को केम्प मण्डावरा में पेश हो।

12/6/18

पत्रावली क्षेत्र अदालत केम्प मण्डावरा में पेश
हुई। प्राथमिक रिडही दिनांक 24/4/18 की पालना
में लक्ष्मीलदर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।
शान्ति मिया जाकर वहील वादनी को सुना गया।



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>वधिल वादनी विभाजन अनुसार राजस्व रिपोर्टों में विभाजन क्रिये जाने में सहमत है। सहमति बाबत अवेधिका पर हस्ताक्षर किये। नतः वधिल वादनी की सहमति के आधार पर प्रकरण में मुलाबिक विभाजन प्रस्ताव मंतिम किस्ती जारी हो। पत्रावली कमल शुमार होकर दफ्तल दफ्तर हो।</p>	

डिल्ली मुकदमा
(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक
अदालत केम्प मण्डावरा

उनवान

पुष्पा बाई पत्नी नन्द लाल पुत्री पांथू जाति मेघवाल निवासी मण्डावरा तहसील दीगोद जिला
कोटा हाल निवासी रेतवाली कोटा

- वादनी

बनाम

1. चोथमल पुत्र हीरालाल
2. अनिल पुत्र सूरजमल जाति मेघवाल (डिलीट 15.05.15)
3. चमेली बाई पत्नी स्व० सूरजमल जाति मेघवाल
4. लीला पुत्री सूरजमल जाति मेघवाल
5. राम शीला पुत्री सूरजमल नाबालिग जरिये वली माता
6. सुलोचना पुत्री सूरजमल नाबालिग जरिये वली माता
7. दमयन्ती पुत्री सूरजमल नाबालिग जरिये वली माता चमेली बेवा सूरजमल जाति
मेघवाल
8. नन्दकिशोर पुत्र छीतरलाल
9. हंसराज पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल निवासीगण मण्डावरा तहसील दीगोद जिला
कोटा
10. रामकन्या पुत्री छीतर लाल पत्नी कालूलाल मेघवाल निवासी जैथल जिला बूंदी
11. ललता पुत्री छीतरलाल पत्नी हीरा जाति मेघवाल निवासी हांडी खेडा जिला बूंदी
12. जानकी बाई पुत्री हीरा पत्नी मथुरालाल जाति मेघवाल निवासी पोलाई खुर्द तहसील
दीगोद जिला कोटा
13. भूली बाई पुत्री हीरा पत्नी कान्हा जाति मेघवाल निवासी गढेपान तहसील दीगोद जिला
कोटा
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88-89-53-188 आर०टी०एक्ट

मिसल नम्बर-94/11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस.
बहाजिरी श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक
अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद स्थित ख०नं०
179 रकबा 0.74 हे० व ख०नं० 231 रकबा 0.69 हे० भूमि का पक्षकारान् के मध्य, तहसीलदार
दीगोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता
है-


क्र०सं०	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	लगान
1.	पुष्पा बाई पत्नी नन्द लाल पुत्री पांथू जाति मेघवाल निवासी मण्डावरा	179 पूर्वी	0.37 हे०	2.22
		231 पूर्वी	0.34 हे०	2.04
2.	नन्दकिशोर हंसराज पुत्रान रामकन्या ललता पुत्रियां छीतरलाल हि० 1/6 चौथमल पुत्र जानकी बाई भूली बाई पुत्रीयां हीरा हि० 1/6 लीला राम शीला दमयन्ती सुलोचना पुत्रीयां सूरजमल चमेली बाई पत्नी स्व० सूरजमल हि० 1/6 जाति मेघवाल सा० देह -राम शीला, सुलोचना, दमयन्ती ना०बा० वली माता चमेली बाई	179 पश्चिमी	0.37 हे०	2.22
		231 पश्चिमी	0.35 हे०	2.10

तहसीलदार दीगोद उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 12.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत०	0	0	मुत०	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।


(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद